JAIUR DEVELOPMENT AUTHORITY

Indira Circle, J.L.N. Marg, Jaipur-302004

Ph: 0141-2563234, 2563111
0141-2563112, 2563113
Fax: 0141-2563614

Justification for locating the Project in Forest Land

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कनक वृन्दावन से जयगढ़-- नाहरगढ़ रोड़ पर डिजाईन, बिल्ट, फाईनेन्स, ऑपरेट, मेन्टैन एंव ट्रॉसफर (डी.बी.एफ.ओ.एम.टी.) के आधार पर रोप–वे का निर्माण

- जयपुर विकास प्रधिकरण की कार्यकारी समिति की 100वीं बैठक दिनांक 21.12.2005 में कनक वृन्दावन से जयगढ़ रोड़ तक बी.ओ.टी. के आधार पर रोप–वे के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। इस रोप–वे के निर्माण से पर्यटकों को पहाड़ो के मनोहारी दृश्यों के साथ–साथ नाहरगढ एवं जयगढ किलो को देखने की सुविधा मिलेगी, पर्यटकों के लिये नया आकर्षण होगा तथा मानसून के समय में वर्तमान मे बने सड़क मार्ग से आवागमन में होने वाली दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी।
- इस रोप–वे का निर्माण कनक वृन्दावन से जयगढ रोड़ तक 1.50 कि.मी. लम्बाई में किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रोप–वे की लोवर स्टेशन से अपर स्टेशन तक की ऊॅचाई लगभग 200 मीटर है। इस कार्य के लिये फर्म को निर्माण हेतु केवल भूमि उपलब्ध कराई जावेगी। इस रोप–वे का डिजाईन व निर्माण तथा 30 वर्ष की अवधि तक संचालन व संधारण संबधित फर्म मैसर्स दामोदर रोप–वे कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. द्वारा किया जायेगा। इस परियोजना पर अनुमानित राशि रू 20.50 करोड़ के व्यय होने का अनुमान है।
- जिला कलेक्टर, जयपुर से दिनांक 10.01.2006 को अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मैसर्स दामोदर रोप–वे कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा.लि. को दिनांक 21.01.2006 को यह कार्य डी.बी.एफ.ओ.एम.टी. के आधार पर सम्पादित करने हेतु कार्यादेश दिया गया था।
- फर्म द्वारा उसे दिये जाने वाले लाईसेंस के एवज में Commercial Operation के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में छः सीटर केबिन के लिये राशि रू 18.00 लाख का तथा रोप–वे के टिकिटों से विकय से प्राप्त होने वाली राशि का 10 प्रतिशत भाग का भुगतान तिमाही आधार पर 30 वर्ष के लाईसेन्स पीरियड तक प्राधिकरण को करना होगा।
- परियोजना के पूर्ण होने पर जयपुर शहर के पर्यटन को बढावा मिलेगा।
- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल (एन.बी.डब्लू.एल) की 21वीं स्टेण्डिक कमेटी की बैठक दिनांक 24.01.2011 में उक्त रोप–वे परियोजना को कैफेटेरिया के क्षेत्र को हटाते हुए 1.51 हैक्टेयर वन भूमि पर निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त पर प्रदान की गई थी कि यूजर एजेन्सी नियमानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करें।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 21.02.2012 को प्रस्तावित रोपवे की एप्लीकेशन को Accept तथा निस्तारण करते हुये यह निर्देश दिये कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल (एन.बी.डब्लू.एल) की 21वीं स्टेण्डिग कमेटी की बैठक दिनांक 24.01.2011 की अनुशंषा एवं स्वीकृति के तहत यूजर ऐजेन्सी फॉरेस्ट कन्जरवेशन एक्ट 1980 के तहत रोप वे के कार्य के लिये अनापत्ति पत्र प्राप्त करने हेतु वन विभाग में आवेदन करें।
- तदानुसार निर्धारित प्रॉफार्मा में वन विभाग में रोप वे निर्माण के लिए अनापत्ति पत्र प्राप्त करने हेतु वन विभाग में आवेदन किया जा रहा है।

छायाप्रति प्रमाणित

Place : Jaipur
Date :06-03-2018

Avinash Sharma
Executive Engineer (RRP-I)
JDA, Jaipur

अधिशाषी अभियन्ता (रिंग रोड)
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

Countersigned
Divisional Forest officer
……………….Forest Division
Office Seal……………………

Full title of the Project: **Construction of Aerial Passenger Ropeway from Kanak Vrindavan to Jaigarh Nahargarh Road Junction 1.51 ha.**
.File Proposal No: **FP/RJ/Others/26838/2017**
Date of Proposal: 27/06/2017